प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनाँक 28 मार्च, 2022**

विषयः-केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी हेतु केन्द्रांश की धनराशि एस0एन0ए0 एकाउण्ट में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रति मेडिकल कालेज हेतु रू0 325.00 करोड़ की अधिकतम लागत स्वीकृत की गयी है। उक्त योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य व्यय अनुपात 60:40 होगा। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- उल्लेखनीय है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	मे0का0 का नाम	परियोजना की पुनरीक्षित लागत	शासनोश दिनांक	अवमुक्त् केन्द्रांश	अवमुक्त राज्यांश	अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
	2	3	4	5	6	7
1	बिजनौर	281.5197	27.03.2020, 13.09.2021, 03.02.2022	12.00+ 15.00+ 23.00= कुल 50.00	08.00	50.00
2	कुशीनगर	281.4501	27.03.2020, 27.08.2021, 03.02.2022	12.00+ 15.00+ 23.00= कुल 50.00	08.00	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	सुल्तानपुर	270.9250	27.03.2020, 28.08.2021, 04.02.2022	12.00+ 15.00+ 23.00= कुल 50.00	08.00	50.00
4	गोण्डा	281.7110	27.03.2020, 21.09.2021, 03.02.2022	12.00+ 15.00+ 23.00= कुल 50.00	08.00	50.00
5	ललितपुर	287.5747	27.03.2020, 28.08.2021, 23.02.2022	12.00+ 15.00+ 23.00= कुल 50.00	08.00	50.00
6	लखीमपुर खीरी	288.7095	27.03.2020, 13.09.2021	12.00+ 38.00= कुल 50.00	08.00	50.00
7	चंदौली	274.1833	27.03.2020, 13.09.2021	12.00+ 38.00= कुल 50.00	08.00	50.00
8	बुलन्दशहर	269.4430	27.03.2020, 13.09.2021	12.00+ 38.00= कुल 50.00	08.00	50.00
9	सोनभद्र	249.9875	27.03.2020, 28.08.2021, 03.02.2022	12.00+ 30.00+ 08.00= कुल 50.00	08.00	50.00
10	पीलीभीत	284.6080	27.03.2020, 27.09.2021	12.00+ 38.00= कुल 50.00	08.00	50.00
11	औरैया	280.1657	27.03.2020, 28.08.2021	12.00+ 38.00= कुल 50.00	08.00	50.00
12	कानपुर देहात	283.3756	27.03.2020, 28.08.2021	12.00+ 38.00= कुल 50.00	08.00	50.00
13	कौशाम्बी	330.6280	27.03.2020, 13.09.2021	12.00+ 38.00= कुल 50.00	08.00	50.00
14	अमेठी	292.5668	09.09.2021,	20.00+		50.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			03.02.2022	30.00= कुल 50.00		
			कुल योग	700.00	104.00	700.00

3- भारत सरकार द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों हेतु वांछित केन्द्रांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एजेन्सी के सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या- 40601009117, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ के खाते में रखा जायेगा, जिसे कार्यदायी संस्था को जीरो बैलैन्स एकाउन्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ फेज-3 खाता संख्या- 40681736693 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश रू0 50.00 करोड़ (उपर्युक्त तालिका के कालम-7 के अनुसार) प्रत्येक हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0109-मेडिकल कालेज बिजनौर, 0110-मेडिकल कालेज कुशीनगर, 0111-मेडिकल कालेज सुल्तानपुर, 0112-मेडिकल कालेज गोण्डा, 0113-मेडिकल कालेज ललितपुर, 0114-मेडिकल कालेज लखीमपुरखीरी, 0115-मेडिकल कालेज चंदौली, 0116-मेडिकल कालेज बुलन्दशहर, 0117-मेडिकल कालेज सोनभद्र, 0118-मेडिकल कालेज पीलीभीत, 0119-मेडिकल कालेज औरैया, 0120-मेडिकल कालेज कानपुर देहात, 0121-मेडिकल कालेज कौशाम्बी, 0122-मेडिकल कालेज अमेठी के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

6- उक्त 14 मेडिकल कालेजों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-3536/दस-2021-22, दिनांक 28 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बिजनौर/कुशीनगर/ ल्नपुर/गोण्डा/लितपुर/लखीमपुर खीरी/चंदौली/
   बुलन्दशहर/सोनभद्र/ पीलीभीत/औरैया/कानपुर देहात/कौशाम्बी/अमेठी।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।